न्यायालय राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद, जिला कोटा

मि0 न0
139 / 23

तारीख दायरा	तारीख फैसला
04.12.2023	09.12.2023

सियाराम नागर आत्मज महावीर प्रसाद जाति धाकड निवासी मंडावरा हाल प्रेमनगर 3 कोटा तहसील लाडपुरा जिला कोटा

(वादी)

बनाम

1. भवानीशंकर पुत्र महावीर प्रसाद नागर निवासी सर्वोदय स्कूल के पास प्रेमनगर कोटा
2. चन्द्रकला पत्नी महावीर प्रसाद नागर निवासी सर्वोदय स्कूल के पास प्रेमनगर कोटा
3. सुनीता नागर पुत्री महावीर प्रसाद नागर निवासी सर्वोदय स्कूल के पास प्रेमनगर कोटा
4. पिया नागर पुत्री महावीर प्रसाद नागर निवासी आमेरा डून्डा गांधी नगर कोटा
5. पुजा नागर पुत्र महावीर प्रसाद नागर निवासी मण्डावरा हाल निवासी सर्वोदय स्कूल के पास प्रेमनगर तृतीय कोटा
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद

(प्रतिवादीगण)

वादीगण की ओर से :– श्री भारत शर्मा एडवोकेट
प्रतिवादीगण की ओर से :– श्री गिरीराज प्रसाद मीणा

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88,89,53 आर.टी.एक्ट

–: निर्णय :–

वादी ने उपरोक्त शीर्षक का वाद पत्र निम्न रूपेण पेश किया है :–

1. संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि ग्राम मूण्डला तहसील दीगोद जिला कोटा में खाता संख्या 425 नया 407 पुराना की ख0न0 582 रकबा 1.98 है0 , ख0न0 1161 रकबा 1.61 है0, ख0न0 715 रकबा 2.03 है0, ख0न0 1923 रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 रकबा 5.65 है0 भूमि वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है। नकल जमाबंदी संलग्न है। यह कि विवादी आराजी वादी व प्रतिवादी के पिता / पति की पुश्तैनी आराजी है जिस पर मौके पर वादी व प्रतिवादीगणो ने आपसी बटवारा कर मोके पर काबिज काश्त चले आ रहे है। उक्त आराजीयात में वादी व प्रतिवादी कम 1 1/2–1/2 हिस्से पर काबिज काश्त चले आ रहे है। प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 द्वारा अपना हिस्सा मोखिक रूप से हक त्याग कर दिया गया था। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 आपसी मिलिभगत से बिना विभाजन करवाये उक्त वर्णित भूमि का बेचान करने पर आमदा है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 1 आए दिन वादी के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा करते रहते है और बिना विभाजन कराये उक्त आराजीयात का बेचान करने पर आमदा है। यह कि विवादीत आराजी वादी व प्रतिवार्दीगणों की संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से प्रतिवादीगण उक्त भूमि को खुर्द बुर्द, बेचान, अन्तरण करने पर आमदा है, जिसका कि प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नही है। यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से तहसील में चलकर मौके अनुसार बटवारा करने और प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 का नाम डिलिट करने को कहा तो प्रतिवादीगणा नाराज हो गये तथा भूमि को

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा

बैचान करने की धमकी दी। यह कि वाद का कारण दिनांक 08.07.2023 को वादी द्वारा प्रतिवादीगण से उक्त भूमि में मौके अनुसार बटवारा कराने की कहने पर प्रतिवादीगण द्वारा इंकार करने पर उत्पन्न हुआ।

अतः वाद पेश कर वादी द्वारा निवेदन किया है कि वाद के पक्ष में निम्न आशय की आज्ञा व डिकी पारित की जावे:– कि ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा खाता संख्या 425 नया 407 पुराना की ख0न0 582 रकबा 1.98 है0, ख0न0 1161 रकबा 1.61 है0, ख0न0 715 रकबा 2.03 है0, ख0न0 1923 रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 रकबा 5.65 है0 भूमि वादी व प्रतिवादी गण की संयुक्त खातेदारी में स्थित चली आ रही है। उपरोक्त आराजी में प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 का नाम हकत्याग करे कारण डिलिट किया जाकर भूमि का वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/2–1/2 का खातेदार घोषित करते हुए मौके अनुसार व राजस्व रिकार्ड में विभाजन किया जाकर पृथक – पृथक खाता व लगान कायम किया जावें। तथा प्रतिवादी नम्बर 6 को आदेशित किया जावे कि वे उपरोक्त प्रकार से राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे।

2. वादीगण की और से निम्न दस्तावेज प्रस्तुत किये जो संलग्न है :–
   नकल जमाबन्दी ग्राम मण्डावरा सम्वत् 2071–74

3. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी की तलवी विधिवत करवायी गई। प्रतिवादीगण की और से जवाब दावा प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी कम 1 ता 5 की और से प्रस्तुत जवाब दावा सहमति परक प्रस्तुत कर विशेष कथन निम्न प्रकार किया है:– यह कि वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र पूर्ण रूप से स्वीकार है। जवाब दावा पेश कर निवेदन है कि वाद वादीगण डिक्री कर दिया जाने में प्रतिवादी कम 1 ता 5 को कोई आपत्ति नही है।
   यह कि वादी व प्रतिवादी कम 1 ता 5 के मध्य आपस में राजीनामा हो गया है और राजीनामें के अनुसार उक्त दावे को डिकी करना चाहते है इसमें प्रतिवादीगण की पूर्ण सहमति है व कोई आपत्ति नही है। उभय पक्ष में आपसी सहमति बनने एवं सहमति से उभय पक्ष में राजीनामा होने पर प्रकरण में उभय पक्ष द्वारा एक लिखित राजीनामा निम्न प्रकार प्रस्तुत किया गया :–
   यह कि पक्षकारान के मध्य आपस में समझौता हो गया है जिसके अनुसार वादी व प्रतिवादीगण एक ही परिवार के सदस्य है और आपस में राजीनामा हो गया है प्रतिवादीगण व वादीगण के मध्य राजीनामा हो जाने के कारण वादी व प्रतिवादी कम 1 को 1/2–1/2 का खातेदार घोषित किये जाने व वाद डिकी किये जाने में कोई आपत्ति नही है। यह कि वादी व प्रतिवादी उक्त वाद में वादी व प्रतिवादी नम्बर 1 को 1/2–1/2 के खातेदार घोषित करते हुए उक्त वाद का निस्तारण करने में वादी व प्रतिवादीगण को कोई आपत्ति नही है। यह कि प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 उक्त आराजी में कोई हिस्सा नही लेना चाहती है और वादी डिकी किये जाने में आपस में सहमत है। अतः वाद में राजीनामा पेश कर प्रार्थना है कि वादी का वाद राजीनामा के आधार पर डिकी फरमा दिया जावे।

सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)	सदस्य तालुका विधिक सेवा समिति दीगोद जिला कोटा (राज.)	अध्यक्ष राष्ट्रीय लोक अदालत दीगोद जिला कोटा

4. वाद में उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गयी। उभय पक्ष के अधिवक्ताओं ने आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा अनुसार वाद डिक्री करने पर कोई आपत्ति नही की है। वादी की पहचान वादी अधिवक्ता से करवाई गयी एवं प्रतिवादीगण की पहचान प्रतिवादी अधिवक्ता से करवायी गयी। राजस्व रिकॉर्ड एवं वादी की और से प्रस्तुत दस्तावेज एवं उभय पक्ष के अधिवक्ताओं की बहस एवं आपसी सहमति से प्रस्तुत राजीनामा का गहन अध्ययन व मनन किया गया। वादीगण का वाद उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा व तहसीलदार दीगोद की रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है ।

5. अतः वादी का वाद उभय पक्ष की और से प्रस्तुत राजीनामा के आधार स्वीकार किया जाकर ग्राम मण्डावरा तहसील दीगोद जिला कोटा खाता संख्या 425 नया 407 पुराना की ख0न0 582 रकबा 1.98 है0 , ख0न0 1161 रकबा 1.61 है0, ख0न0 715 रकबा 2.03 है0, ख0न0 1923 रकबा 0.28 है0 कुल किता 4 रकबा 5.65 है0 में वादी व प्रतिवादी कम 1 को 1/2–1/2 का खातेदार घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादी नम्बर 2 लगायत 5 उक्त आराजी में कोई हिस्सा नही लेना चाहती है। प्रतिवादी कम 2 लगायत 5 द्वारा अपने हिस्से का हक त्याग करने पर नियमानुसार हक त्याग का शुल्क वसूल करते हुये निर्णय अनुसार पालना की जावे।

मुताबिक निर्णय अनुसार उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जाये तद्नुसार डिकी जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 09.12.2023 को राष्ट्रीय लोक अदालत केम्प दीगोद में मजमें आम में सुनाया गया।

सदस्य
तालुका विधिक सेवा समिति
दीगोद जिला कोटा (राज.)

अध्यक्ष
राष्ट्रीय लोक अदालत
दीगोद जिला कोटा